

29/11

पत्रावली प्रस्तुत की गई। वनील शर्मा अनुपस्थित।
मूल वाद अद्वैत हाथी के खारिज किया जा चुका
है। अतः शर्मा शर्मा पत्र के विचारों का
कोई औचित्य न्यायालय की राय में शेष नहीं
है। अतः अद्वैत शांति प्रप 212 RTA 255
के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल
शुभ्राएल होकर बाद तस्मील नेवर्स कम होकर
दाखिल दफ्तार हो। के सला सरे इफलास
सुनाया गया।

